# मध्यप्रदेश शासन
## लोक निर्माण विभाग
## मंत्रालय

क्रमांक 3249 /2016/19/यो भोपाल दिनांक 09 /06/2016

प्रति,

1 प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

2 परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग
पी0आई0यू0 भोपाल।

3 प्रबंध संचालक
म0प्र0 सड़क विकास निगम
भोपाल।

विषयः- केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण एवं निराकृत की जाने की व्यवस्था बाबत्।

संदर्भः- प्रमुख अभियंता लो0नि0वि0 की टीप क्रमांक 298/प्र0अ0/लो0नि0वि0 दिनांक 25.05.2016

—0—

लोक निर्माण विभाग में निविदा आमंत्रण की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में निविदाएँ अतिरिक्त परियोजना संचालक के स्तर पर आमंत्रित की जाती है। लोक निर्माण विभाग (भ/स) में योजना मद में 5.00 करोड़ से अधिक की निविदाएँ प्रमुख अभियंता कार्यालय से तथा 5.00 करोड़ से कम की निविदाएँ मुख्य अभियंता द्वारा आमंत्रित की जाती है। गैर आयोजना मद में निविदाएँ संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा आमंत्रित की जाती है। म0प्र0 सड़क विकास निगम में सभी निविदाएँ मुख्यालय से ही जारी की जाती है। मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12.05.2016 को आयोजित बैठक में निविदा प्रकिया के संबंध में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस व्यवस्था में सुधार करते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण एवं निराकृत की जाने की व्यवस्था निम्नानुसार लागू करता है।

1. रू0 20.00 लाख तक की समस्त निविदाएँ कार्यपालन यंत्री द्वारा रू0 20.00 लाख से 1.00 करोड़ तक की निविदाएँ मुख्य अभियंता द्वारा तथा रू0 1.00 करोड़ से अधिक की निविदाएँ प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा आमंत्रित की जायेगी एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाई में रू0 1.00 करोड़ तक की निविदा अतिरिक्त परियोजना निदेशक एवं 1.00 करोड़ से अधिक की निविदा परियोजना संचालक द्वारा जारी की जायेगी। म0प्र0 सड़क विकास निगम में सभी निविदाएँ मुख्यालय से ही जारी की जाने की व्यवस्था लागू रहेगी।
2. विभाग में आमंत्रित की जाने वाली समस्त निविदायें ई-टेण्डरिंग के माध्यम से बुलाई जायेंगी। इसमें शासन के पूर्व आदेशों के अनुसार विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के समय सर्किट हाउस/रेस्ट हाउस के उन्नयन, हेलीपेड निर्माण, टेंट एवं बैरिकेडिंग के कार्य, राजभवन, माननीय मुख्यमंत्री जी/मंत्रीगणों के आवासों में वार्षिक संधारण एवं साज-सज्जा के कार्य, सांसद/विधायक निधि के कार्य, आपदा की स्थिति में रेस्टोरेशन के कार्य, माननीय उच्च न्यायालय के भवनों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासों में वार्षिक संधारण एवं साज-सज्जा के कार्य तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों के संबंध में ई-टेण्डरिंग से छूट रहेगी।

3. विभाग में आमंत्रित की जाने वाली समस्त निविदाओं हेतु संबंधित कार्यपालन यंत्री सक्षम अधिकारी से निविदा प्रपत्र अनुमोदित कराकर प्रत्येक माह के दिनांक 6, 16 एवं 26 तक वेबसाईट पर अपलोड करेंगे। उक्त अपलोडेड निविदाओं के परीक्षण उपरांत प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता (प्रोक्यूरमेंट) इन्हें प्रत्येक माह के दिनांक 10, 20 एवं 30 को वेब पोर्टल पर रिलीज करेंगे। साथ ही इन निविदाओं हेतु सीपीआरु के माध्यम समाचार पत्रों में प्रकाशन करायेंगे।

4. दिनांक 10, 20 एवं 30 को वेब साईट पर प्रकाशित निविदायें क्रमशः दिनांक 28, 8 एवं 18 तक मंगवाई जायेंगी।

5. निविदाओं के संबंध में शुद्धिपत्र केवल ऑनलाईन ही वेब साईट पर अपलोड किया जायेगा तथा इस संबंध में समाचार पत्रों में कोई प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

6. दिनांक 28, 8 एवं 18 तक (अपराह्न 5 बजे तक) प्राप्त निविदायें क्रमशः दिनांक 29, 9 एवं 19 को प्रातः 11.30 बजे खोली जायेंगी।

7. रूपये 20 लाख तक की निविदायें संबंधित कार्यपालन यंत्रियों द्वारा खोली जायेंगी। रूपये 20 लाख से रूपये 1 करोड़ तक की निविदायें संबंधित परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा खोली जायेंगी। रूपये 1 करोड़ से अधिक की निविदायें मुख्य अभियंता (प्रोक्यूरमेंट) द्वारा खोली जायेंगी। परियोजना कियान्वयन इकाई में एक करोड़ तक की निविदा अतिरिक्त परियोजना संचालक द्वारा एवं एक करोड़ से ज्यादा की निविदा परियोजना संचालक कार्यालय में खोली जायेगी।

8. रूपये 20 लाख तक की निविदाओं का निराकरण कार्यपालन यंत्री स्तर पर, रूपये 20 लाख से रूपये 1 करोड़ तक की निविदाओं का निराकरण परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंता स्तर पर, रूपये 1 करोड़ से रूपये 5 करोड़ तक की निविदाओं का निराकरण मुख्य अभियंता (प्रोक्यूरमेंट) स्तर पर, रूपये 5 करोड़ से अधिक की निविदाओं का निराकरण प्रमुख अभियंता एवं शासन स्तर से वित्त अधिकार संहिता में वित्त विभाग के पत्र कमांक 879/2008/नियम/चार/395 दिनांक 23 मई 2008 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार किया जायेगा। पी0आई0यू0 में एक करोड़ तक की निविदा अतिरिक्त परियोजना संचालक कार्यालय एवं एक करोड़ से अधिक की निविदा का निराकरण परियोजना संचालक एवं शासन स्तर पर वित्त अधिकार संहिता में उक्त आदेश द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार किया जाएगा।

9. यदि निर्धारित दिनांक पर शासकीय अवकाश है तो संबंधित कार्रवाई आगामी कार्यदिवस में की जायेगी।

10. बिड सबमिशन की अंतिम समय सीमा के तत्काल पश्चात् एनवेलप-ए खोला जायेगा तथा बिड से संबंधित फिजिकल सबमिशन तीन दिवस तक लिया जा सकेगा।

11. ऐसी निविदाओं में जिनमें प्री-कवालिफिकेशन किया जाना है, एनवेलप-ए खोले जाने के तीन दिवस पश्चात एनवेलप-बी खोला जायेगा तथा एनवेलप-बी खोले जाने के सात दिवस के भीतर सामान्यतः तकनीकी मूल्यांकन की कार्रवाई की जायेगी। ऐसी परिस्थितियों में जबकि किसी निविदा को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जा रहा है तब उसे उन आधारों के बारे में सूचित किया जायेगा ( debriefing ) जिन पर उसे अयोग्य घोषित किया गया है। नॉन मटेरियल, नॉन कनफर्मिटी के मामलों में मूल्यांकन समिति द्वारा बिडर से अतिरिक्त जानकारी भी लिखित में चाही जा सकेगी। इन परिस्थितियों में तकनीकी मूल्यांकन का समय बढ़ सकता है।

12. एनवेलप-बी के तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात् योग्य पाये गये बिडर्स को वित्तीय ऑफर खोलने की सूचना दी जायेगी। सामान्यतः वित्तीय ऑफर (एनवेलप-सी) सूचना के एक दिवस के भीतर खोला जायेगा।

13. ऐसी निविदायें जिनमें प्री-क्वालिफिकेशन नही किया जाना है उनमें एनवेलप - ए खोले जाने के दूसरे दिन वित्तीय ऑफर (एनवेलप-सी) खोला जाये।

14. वित्तीय ऑफर खोलने वाले अधिकारी यदि निविदा में स्वीकृतिकर्ता अधिकारी भी हों तो वे वित्तीय ऑफर खोलने के दो कार्य दिवस के भीतर निविदाओं का निराकरण करेंगे एवं यदि संबंधित निविदा उच्च कार्यालय में भेजी जानी है तो वह भी दो कार्य दिवस में भेजी जायेगी।

15. प्रमुख अभियंता स्तर तक के उच्च अधिकारी प्राप्त निविदाओं का निराकरण निविदा प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर करेंगे।

16. ऐसी निविदायें जिन्हें शासन स्तर से निराकृत किया जाना है वे सामान्यतः प्राप्ति के सात दिवस के भीतर निराकृत की जायेंगी।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

9/6/2016

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

पृ0 कमांक 3250 /2016/19/यो
भोपाल दिनांक 09 /06/2016

प्रतिलिपिः-

1. समस्त मुख्य अभियंता मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग।
2. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक म0प्र0 लो0नि0वि0 पी0आई0यू0।
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 लोक निर्माण विभाग।
4. समस्त संयुक्त परियोजना संचालक म0प्र0 लो0नि0वि0 पी0आई0यू0।
5. समस्त कार्यपालन यंत्री म0प्र0 लोक निर्माण विभाग ।
6. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, म0प्र0 लो0नि0वि0 पी0आई0यू0।
7. निज सचिव मान0 मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग भोपाल।

9/6/2016

सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

8/6/16